प्रत्यक्ष अनुदान

प्रत्यक्ष अनुदान सामुदायिक समूहों एवं स्वयंसेवी संगठनों के लिए उपलब्ध हैं। प्रत्यक्ष अनुदान ऐसे **नए** क्रियाकलापों को सहायता दे सकते हैं जो *आर्थिक पुनरूत्पादन को बढ़ावा देंगे, सामाजिक बहिष्कार का मुकाबला करेंगे या स्थानीय नेटवर्किंग* को बढ़ाएंगे। वर्तमान में £15,000 तक के अनुदान उपलब्ध हैं। अनुदान सितम्बर 2004 के अंत तक अवश्य खर्च हो जाने चाहिए।

प्रत्यक्ष अनुदान कार्यक्रम को स्कॉटिश यूरोपियन सोश्यल फंड आब्जेक्टिव 3 प्रोग्राम, कम्युनिटीज स्कॉटलैण्ड और स्कॉटिश इंटरप्राइज नेटवर्क से निधियां प्राप्त होती है।

आवेदक संगठनों को आब्जेक्टिव 3 क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, यह कार्यक्रम हाईलैण्ड्स और आईलैण्ड्स में कार्यरत नहीं है। इस सहायता हेतु पात्र होने के लिए आपके संगठन को पिछले 3 वर्षों में अनुदान के रूप में £75,000 से अधिक (किसी भी स्रोत से) न प्राप्त किया होना चाहिए।

हम सामुदायिक संलिप्तता बढ़ाने, कौशल एवं सक्षमता बढ़ाने, कोई सामुदायिक व्यापार या सहकारिता शुरू करने या अन्य प्रकार से बहिष्कृत समूहों या व्यक्तियों की जरूरतों को पूरी करने से संबंधित राजस्व लागत में सहायता कर सकते हैं। हम मुख्य खरीद एवं निर्माण के लिए निधि नहीं दे सकते।

आवेदन प्रपत्र SCVO की वेबसाइट [www.scvo.org.uk/direct_grants] या 38 Queen Street, Glasgow, G1 3DX स्थित SCVO से प्राप्त किए जा सकते हैं। आप अपने स्थानीय सीवीएस (काउंसिल फॉर वॉलंटरी सर्विस) से भी आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी सलाह एवं सहायता के लिए, यह सिफारिश की जाती है कि सर्वप्रथम आप अपने स्थानीय सीवीएस से संपर्क करें।

प्रत्यक्ष अनुदानों के बारे में और सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा पात्रता जैसे मामलों पर सलाह देने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वथा उपयुक्त ही हमारे उद्देश्यों से सहबद्व हों, SCVO का स्टाफ और हमारे क्षेत्रीय ठेकेदार एक व्यापक कार्यक्रम चलाते हैं और समूहों एवं संगठनों के साथ बैठक करते हैं। इन बैठकों का प्रारूप संभावित श्रोताओं की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सकता है। यदि आवश्यक हुआ, तो SCVO सुनिश्चित करेगा कि ऐसी बैठकों के लिए समुचित अनुवाद एवं भाषांतरण सेवाएं उपलब्ध हों।

प्रत्यक्ष अनुदान कार्यक्रम पर प्रस्तुतीकरण के लिए विकास अधिकारी के साथ बैठक के लिए आवेदनपत्र SCVO, 38 Queen Street, Glasgow G1 3DX (टेलीफोन 0141 225 8010) को संबोधित होने चाहिए।